प्रथम अध्याय

आदिम जनजीवन का स्वरूप

1.1 आदिम शब्द का व्याख्याएँ एवं अर्थ

1.2 भारत के आदिम जनों की दशा

1.3 भारत में आदिमों की बस्तियाँ

1.4 भारतीय आदिमों की जनसंख्या

1.5 भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्गत आनेवाली जनजातियाँ

1.6 भारत के आदिमों में अंधविश्वास

1.7 भारत के आदिमों की रूढ़ि-परंपरा

1.8 भारत के आदिमों की आर्थिक-स्थिति

1.9 भारत के आदिमों की विवाह-विधियाँ

1.10 भारत के आदिमों के उत्सव-पर्व

समान्वित निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची

आदिम जनजीवन का स्वरूप

प्रस्तुत शोध-प्रबंध का विषय है - 'राजेंद्र अवस्थी जी के 'महुआ आम के जंगल' कहानी संग्रह में आदिम जनजीवन का चित्रण' इस विषय पर चिंतन करने से पहले हमें आदिम जनजीवन का स्वरूप जान लेना उचित लगता है। 'जनजाति' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'ट्राईब' शब्द के हिंदी रूपान्तर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जनजातियों के लिए में हिंदी में आदिवासी, काननवासी, वनवासी, आदिम, अरण्यक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

विश्व के अनेक भू भागों में जनजातियाँ पायी जाती है। भारत में इनकी संख्या अधिक है। इनमें अधिकांश लोग दूर-दराज जंगलों में एकांत जीवन व्यतीत करते है। इनका रहन-सहन अत्यंत पिछड़ा हुआ है, जीविका के साधन सीमित है, संसार की प्रगति से पूर्णरूप से अपरिचित है, यान्त्रिक सभ्यता से अभी अवगत नहीं हो पाये हैं तथा रूढ़ियों, अंधविश्वासों और रीति-रिवाजों से जकड़े हैं। इनकी कोई लिपि नहीं है और न कोई लिखित साहित्य है। विश्व के अनेक भागों में ऐसी जनजातियाँ पायी जाती है जो आज भी 'पाषाणयुग' में रह रही है। विश्व के प्रत्येक भूभाग में सभ्यता का विकास समान गति से नहीं हुआ है। विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह भारत में भी ऐसे अनेक प्रदेश है जहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती है।

प्रस्तुत अध्याय में इसी 'पाषाण युग' में रहनेवाले भारत के आदिमों के जनजीवन का स्वरूप विषद किया है। प्रस्तुत अध्याय में भारत के आदिमों को स्वरूप का विवेचन करते हुए आदिम शब्द का अर्थ एवं विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं का विवेचन किया है। प्रस्तुत अध्याय में भारत के आदिम जनों की दशा, भारत में आदिमों की बस्तियाँ, भारत के आदिमों की जनसंख्या, भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्गत आनेवाली जनजातियाँ, भारत के आदिमों में स्थित अंधविश्वास, भारत के आदिमों

रूढ़ि-परंपराएँ, भारत के आदिमों की आर्थिक स्थिति, भारत के आदिमों की विवाह-विधियाँ तथा भारत के आदिमों के उत्सव-पर्व आदि के संबंध में आदिम जनजीवन की पृष्ठभूमी का लेखा-जोखा चित्रित करना अनिवार्य लगता है।

आदिमों का जीवन यान्त्रिकता से दूर है। उनका जीवन अविकसित एवं परंपरागत है। वे दूर-दराज पहाड़ों, जंगलों में बसे होने के कारण किसी सीमा तक पशु-पक्षियों का सा प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते है। यहाँ हम इसी पृष्ठभूमि के आधार पर भारत के आदिमों के जनजीवन को तलाशने का प्रयास करेंगे।

1.1 आदिम शब्द की व्याख्याएँ एवं अर्थ :

आदिम जनजीवन के स्वरूप पर विचार करते समय आदिम जनजीवन की व्याख्याओं को रूपायित करना अनिवार्य लगता है, यहाँ हम आदिमों की महत्वपूर्ण व्याख्याएँ प्रस्तुत करना उचित मानते है।

जेकब्स और स्टर्न के मतानुसार -

"ऐसा एक ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का एक ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान संस्कृति हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक-दुसरे के साथ ओत-प्रोत हो जनजाति कहलाता है।"[1] इसी जनज्ाति को हम आदिम कहते है।

रिचार्ड के मतानुसार -

"समूहों की श्रृंखला जब बढ़ती जाती है तब उसका अंत राष्ट्र में होता है। समूह का यह विकास प्राय: आदिम जातियों में पाया जाता है इन आदिम जातियों को हम 'जन-जाति' भी कहते हैं। यह एक ऐसे समूह का नाम है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहता है, समान भाषा बोलते है तथा आपत्ति के समय सब मिलकर एक हो जाते है।"[2]

गिलानी के मतानुसार-

"एक विशिष्ट भूप्रदेश में रहनेवाला, समान बोली बोलनेवाला और समाज सांस्कृतिक जीवन यापन करनेवाला पर अक्षरों की पहचान न होनेवाले स्थानीय मनुष्यों के गुट को आदिम समाज कहते है।"[3]

भारत के प्रसिद्ध मानवशास्त्री **डॉ.नुजुमदार** ने आदिम जनजाति की अत्यंत रोचक एवं सुंदर परिभाषा करते हुए कहा है - "आदिवासी जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जो सामान्य नाम धारण किय हुए हैं। इसके सभी सदस्य एक ही भूमि पर वास करते है और एक्र भाषा-भाषी, विवाह की प्रथाओं तथा कारोबार संबंधी एक ही नियम का पालन करते हैं। साधरणतया आदिवासी जनजाति अन्तर्विवाह सिद्धान्त का समर्थन करती है और इसके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं। कई गोत्र मिलकर आदिवासी जनजाति की रचना करते है। प्रत्येक गोत्र के सदस्यों का परस्पर रक्त-संबंध जुड़ा होता है। इनमें या तो अनेक लघु वर्ग एक बृहतवर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं अन्यथा उनका वंश परंपरागत सरदार होता है। इस दृष्टि से आदिवासी जनजाति को एक राजनीतिक संघ भी माना जाता है।"[4]

डॉ.रिवर्स के मतानुसार -

"आदिवासी जनजाति एक ऐसा सरल सा समूह है जिसके सदस्य एक बोली बोलते हो, और जो युद्ध आदि के समय सम्मिलित रूप से कार्य करते हो।"[5]

नालंदा विशाल शब्दसागर में 'आदिम' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है -

"आदिम - पहले का। प्रथम। पुराना।"[6]

प्रामाणिक हिंदी कोश में आदिवासी या आदिम शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है -

"आदिवासी - किसी देश या प्रान्त के वे निवासी है, जो बहुत पहले से वहाँ रहते

आये हो और जिनके बाद और लोग भी वहाँ आकर बसें हों। आदिम निवासी।"[7]

उपर्युक्त व्याख्याओं से यह स्पष्ट होता है कि आदिम जनजाति की परिभाषा के विषय में मतभेद हैं, परंतु सबकी राय यही है कि आदिम जनजाति का किसी विशेष भू-भूभाग से संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदिमों की एक स्वतंत्र भाषा, एक स्वतंत्र अन्तार्विवाही समूह होता है उनका एक सामान्य नाम होता है, एक सामान्य संस्कृति होती है। ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। दूर-दूराज के भू-भागों में रहने के कारण वे विकास की गति से अछुते रहते हैं। आज सरकारी प्रयत्नों के कारण उनमें विकास हो रहा है।

1.2 भारत के आदिम जनों की दशा :

भारतीय आदिम जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की अपनी निजी विशेषताएँ हैं, जिनके आधार पर उन्हें अन्य वर्गो से पृथक किया जा सकता है। भारत की आदिम जनजातियों के विशेष लक्षण निम्नांकित है-

1.2.1 भारत के आदिम अनागरिक आरण्यकवासी है :

आज भी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियाँ नागरी सभ्यता से दूर घने जंगलों और पर्वत्तांचलों में निवास करती है। कुछ भारतीय आदिम नई सभ्यता को अपनाकर नगरों में आकर रहने लगे है, किंतु इनकी संख्या अल्प है। अधिकतर जनजातियों के लोग काननवासी है। इसलिये उन्हें अरण्यक या काननवासी नाम से सम्बोधित किया जाता है। आदिमों का संपूर्ण जीवन कृत्रिमता से रहित और प्राकृतिक पर्यावरण से ओत-प्रोत होता है।

1.2.2 ये सभ्यता की दौड़ में पिछड़े हुए है :

आज भारत सन 2020 तक विश्व की आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है, लेकिन आदिम लोग आज भी संसार की सभ्यता की दौड़ में पीछे पड़े है। आज संसार

के अधिकांश लोग सभ्यता की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुके है, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये हैं। फिर भी ये आदिम जनजातियाँ किसी सीमा तक अभी आदिम रूप में ही हैं। उनके जीवनयापन एवं रहन सहन की विधियाँ अभी भी अत्यंत प्राचीन या आदिम है।

6 जून 1972 को बीजापूर बस्तर में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था - "पिछड़े शब्दों से मुझे नफरत है, आजाद भारत में आज भी इस शब्द को सुनते, कहते अफसोस होता है हमें कहना पड़ता है कि हमारे आदिवासी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं।" [8] इससे स्पष्ट होता है कि आदिम जनजातियाँ विकास गति में आज भी पिछड़ी हुई हैं। आज भी आदिम लोगों में शिकार पर निर्भर रहना, अस्थिर खेती करना, पशुपालन करना, नवीन अविष्कारों के प्रति अरूचि रखना, अशिक्षित रहना इन्हीं प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिये ये आदिम नाम से पुकारे जाते हैं।

1.2.3 ये निश्चित भू-भागों में रहते हैं ः

भारत के आदिम लोग निश्चित भू-भाग के अंतर्गत ही रहते है। इन लोगों में बिखराव नहीं होता। जैसे मध्यप्रदेश के आधे से अधिक भागों में आदिम लोग निवास करते है इनमें गोंड जाति सबसे अधिक है। राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाडा, बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ और बस्तर जिलों में गोंड प्रमुख जनजाति है, यही बात भारत की अन्य जनजातियों के संबंध में है। वस्तुत: जनजातियाँ अपने स्थान के प्रति मोह रखती हैं। कठिण से कठिण परिस्थिति में भी अपने विशेष छेत्र को छोड़ना उचित नहीं समझते है यही कारण है कि वे युगों से एक ही क्षेत्र में रहती चली आई है यही विशिष्ट परिक्षेत्र उनके जीवन का अविभाज्य अंग बना हुआ है।

1.2.4 सामुदायिक भावना के प्रबल पोषक हैं -

मानव समूह जीवन का आदती है समाज की निर्मिती के पीछे स्वरक्षा की भावना रही है। सामुदायिक भावना तो सभी समाज वर्ग और समुदायों में होती है किंतु आदिमों के कबीलों में सामुदायिक भावना रखने के लिए अनेक सामाजिक नियम,

उपनियम स्वयं बना रखे है। इनमें सामूहिक भावना की प्रवृत्ति विशेष प्रबल हैं। सामूहिक शिकार, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सामूहिक झोपड़ियाँ बनाना, सामूहिक उत्सव पर्व मनाना आदि इनकी विषेताएँ है। अपने-अपने कविले के आचार-विचार विषयक स्वयं के नियम उन्होंने स्वयं बनाये हैं। उनके ये नियम उनके लिए घटनात्मक निर्बंध होते हैं।

1.2.5 लीपिरहीत भाषा-भाषी है -

प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा होती है किंतु आदिमों की लिपि नहीं हैं, अत: मौखिक रूप से लोकगीत और लोककथाएँ आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हास्तांतरित होती है।इथर कुछ जनजातियाँ बाहय संपर्क से रोमन या नागरी लिपि को अपना रही है।अनेक जनजातियॉ द्विभाषा-भाषी भी हैं और कुछ ने अपनी मूल भाषा त्याग दी है तथा निकटवर्ती क्षेत्र की भाषा अपना ली है।उदा. के लिए बिहार के मुण्डा लोग बीहारी बोलियों को अपना रहे हैं। कुछ भी क्यों न हो आदिमों की भाषा में उनके परिवेश का इतिहास, परिवेश की भौगोलिकता उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित है।

1.2.6 विलक्षण रीति-रिवाजों के पक्षघर है -

भारत की आदिम जनजातियॉ विलक्षण रीति-रिवाजों को मानती है। जिसके कारण ये अपनी ओर अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आज उनके रीति-रिवाज बदल रहे हैं लेकिन उनका लोप अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। भारतीय आदिमों में लमसेना रखना, दूध लौटाना, घोटुल आदि के संबंध में सदियों से चली आ रही परंपराओं, रीति-रिवाजों का पालन कर रहें हैं उनके रहन-सहन की विधियाँ उनके धार्मिक कर्मकाण्ड, उनकी वैचारिक मान्यताएँ आदि सामान्य सभ्य जीवन से बहुत भिन्न है। अर्थात आज भी वे परंपराओं के दास बनकर अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत को ढो रहे हैं।

1.2.7 नये परिवर्तनों के प्रति आकर्षित नहीं होते -

आदिमों में नये मूल्यों के प्रति भय की भावना बनी रहती है। आदिम लोग पूर्णतय: पूरातन प्रेमी है। इनको भय रहता है कि यदि वे नई जीवनपद्धति को

स्वीकार करेंगे तो उनका अकल्याण होगा। यही कारण है कि आज संसार के हजारों कोस आगे बढ़ने पर भी आदिम लोग उसी प्राचीन आवस्था से चिपके हुए हैं। आदिमों को बदलाव की भावना मान्य नहीं है, वे अपने रीति-रिवाजों को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है यदि वे पुरातन मूल्य छोड़ दे तो गाँव पर संकट आ जायेगा पूरा गाँव बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, ऐसी उनकी धारणा होने के कारण ये लोग नये परिवर्तनों के प्रति आकर्षित नहीं होते।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आदिम लोग अनागरिक अरण्यकवासी, विकास की धारा में पिछड़े हुए, समूहभावना को महत्त्व देनेवाले, निश्चित भू-भागों में रहना, रीति-रिवाजों के पोषक, नये मूल्यों के प्रति उदासिन आदि लक्षण उनमें पाये जाते हैं। परिवर्तन उनके लिए भय एवं कोप को निर्माण करता है। अज्ञानवश वे परिस्थिति के परिणाम स्वरूप बदलना आपत्तिजनक मानते हैं।

1.3 भारत में आदिमों की बस्तियाँ :

सामाजिक मानव विज्ञान में जनजातिय समाज या आदिम समाज के अध्ययन का विशिष्ट महत्त्व है। भारत में आदिमों की जनजातियाँ जिन स्थानों में बसी हुई है, उसका अध्ययन करना पृष्ठभूमी के रूप में महत्वपूर्ण है। भारत में जिन स्थानों में जनजातियाँ बसी हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए हम मेटे तौर पर डॉ.बी.एस.गुहा के वर्गीकरण को प्रस्तुत करना उचित मानते हैं। उन्होंने आदिमों को तीन बड़े-बड़े भू भागों में बाँटना उचित माना है। जैसे -

"उत्तर पूर्वी प्रदेश
मध्यवर्ती प्रदेश
दक्षिणी प्रदेश।"[9]

1.3.1 उत्तर पूर्वी प्रदेश :

इस प्रदेश में प्रथम वर्ग की जनजातियाँ उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतांचलों और भारत के पूर्वी सीमान्त प्रदेशों में निवास करती है। ये हिमालय की तराई में तथा

भारत के पूर्वी सीमान्त प्रदेशों के पर्वतांचलों में जो दक्षिण पूर्व में अदृश्य रूप से वर्मा की पर्वत घाटियों तक फैली है। कश्मीर का पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश, असम तथा सिक्कीम इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।

इन प्रदेशों में लेपचा, डफला, मिश्मी, गारो, खासी, नागा, कूकी, चकमा, गुरंग, आदि आदिम जनजातियाँ निवास करती है।

1.3.2 मध्यवर्ती प्रदेश :

इस प्रदेश के अंतर्गत दूसरे वर्ग की जनजातियाँ आती है जो मधवर्ती भारत की पहाड़ियों और पठारों में रहती है। यह बहुत प्राचीन काल से आदिमों का निवास स्थल रहा है। यह प्रदेश नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का पर्वतीय भाग ही अपने अंचल में सर्वाधिक आदिम जनजातियाँ को लपेटे हुए है। ये जनजातियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी, सातपुडा, महादेव मैकाल और अजन्ता की पहाड़ियों की ढालों और पठारी भाग से लेकर देश के नीचले भाग हैदराबाद के घने जंगलो, पूर्वी व पश्चिमी घाटी के पहाड़ी प्रदेश और उत्तर पश्चिम में आरवली पहाड़ी तक बसे है।

इन प्रदेशों में मध्यप्रदेश के गोंड, राजस्थान के भील, छोटा नागपुर के सन्स्थाल, सिंहभूम और मानभूम के हो, उडिसा के कान्ध और खरिया, गंजाम जिले के सावरा, गदब तथा बोन्दा आदि जनजातियाँ आती है।

1.3.3 दक्षिणी प्रदेश :

तीसरे वर्ग के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी भागों की पहाड़ियों और पश्चिमी घाटों के किनारों पर रहनेवाली आदिम जनजातियाँ इस प्रदेश में आती है। इस क्षेत्र की जनजातियाँ समस्त जनजातियों पुरानी प्रतीत होती है। इन प्रदेशों में म्हैसुर, कोचीन, आंध्रप्रदेश तथा मद्रास आते है। मद्रास तट का संबंध बिकानेर तथा अण्डमान टापू के साथ होता हुआ यह सारा क्षेत्र दक्षिणी प्रदेश कहा जाता है। इन प्रदेशों में नीलगिरी के टोड़ा, वायनाड़ के पनियन, कादर, हैद्राबाद के चेंचू, कुरोवन आदि प्रमुख जनाजातियॉं निवास करती है।

1.4 भारतीय आदिमों की जनसंख्या :

भारत के अधिकांश राज्यों में विभिन्न आदिम जनजातियाँ निवास करती है। "सन 1981 की जनसंख्या गनना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 68,51,84,692 है जिसमें अनूसूचित जनजातियों की संख्या 5,16,28,638 थी।"[10]

देश में सबसे अधिक आदिम लोग मध्यप्रदेश में रहते है, दूसरे स्थान पर उड़िसा, तिसरे स्थान पर बिहार तथा चतुर्थ स्थान पर म्हाराष्ट्र हैं। भारत के अन्य राज्य राजस्थान, केरळ, ओरिसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी आदिम जनजातियाँ निवास करती है। केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक आदिम निवास करते है। तथा लक्षद्विप, दमन और दीव में अधिक आदिम निवास करते है। भारत में अनुसूचित जनाजातियों की कुल जनसंख्या 15.47 फिसदी है। आदिमों को जिन अन्य नामों से जाना जाता है, उनमें वनजाति, पहाड़ी, आदिवासी, अनूसुचित जनजाति आदि। भारत के कुल अठरह पहाड़ी भू-भाग है इन भू-भागों में अलग-अलग प्रकार की जनजातियाँ रहती है जो देश की विकास गति से अभी भी अछुती रही है।

1.5 भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्गत आनेवाली जनजातियाँ :

भारत के राज्यों मे विभिन्न प्रकार की तथा अलग-अलग आदिम जनजातियाँ निवास करती है। जिसका विवरण निम्नप्रकार है -

मध्यप्रदेश : अगरिया, बैगा, मैना, भत्तरा, भिल, मिंजवार, धनवर, कमार, गोंड, कोरकू, कीर, कौर, खरिया, कोलम, मुंडा, परधान, ओरांव, पारधी, अरख, सांवर, सौर, आदि।

बिहार : बंजार, असुर, बैगा, गोंड, हो, खाड़िया, विरहोर, खोंड, मुंजकोखा, उराव, संथाल, मलपहाडि, पहाडिया, भूमिज, संवरिया आदि।

आंध्रप्रदेश : गदबा, जतपूस, कोंडदोरा, कौंडाकापूस, चेंचू, कोया, कोंदारेड्डी, कुल, भिल्ल, डोंगरी, कोलाम।

ओरिसा : संथाळ, उराव, सवरा, चेंचु, गदबा, गोंड, हो, जसपूस,

बैगा, खडिया, कोल, बंजारे आदि।

महाराष्ट्र और गुजरात	ः	भिल्ल, गोंड, वारली, कोळी, ठाकूर, दुबळा, बेंगा, गठवा, कमार, खडिया, खोंड, कोलम, कोरकू ,घोरवा, मुंडा, उराँव, परधान।
आसाम	ः	गारो, खासी, कुकी, मिझो, मिकिरनाग, अबोर, उपला, मिश्मी, अप्तनी।
केरळ	ः	कदर, मुथुवन, इरूल, मलकुरवण, मलयरयन, पलयन, मन्नन, कटटूनैकन, कोरग, कोत, कृमन, मालसर, पानियन, कुरूंब आदि।
राजस्थान	ः	भिल्ल, ठारसिया, दुबळा, गोंड, कोरकू, कोळी, कातकरी, वारली आदि।
हिमाचल प्रदेश	ः	गर्जर, लहौर, लंब, पगवल, गुड्डी ।
पश्चिम बंगाल	ः	हो, कोल, मुंडा, उरांव, भूमिज, बैगा, संताळ, गारोलेपचा, बंजारे, खोंडकारवा।
त्रिपुरा	ः	लुशाई, कुकिहलम, खासी, भूतिया, मुंडा, संताळ, भिल्ल, जिरांग, और उच्छे।
मणिपूर	ः	अंगामी, मिझो, पैले, पुरवन, सेम आदि।

आदि राज्यों में भारत की आदिम जनाजातियाँ निवास करती है। अन्य राज्यों में भी अनेक आदिम जनजातियाँ है। केंद्रशासित प्रदेश, लक्षद्विप, दमन ओर दिव में भी आदिम जनजातियाँ निवास करती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आदिम जनजातियाँ भारत के प्रत्येक राज्य में पाई जाती है, जंगलों, पहाड़ियों में वे बसे हुए है। आज भी ये लोग आधुनिक युग से अलग हैं, प्रकृति का यह पूत्र विकास से दूर भागता है। आधुनिक विकास का जो मानदंड है उसे आदिम समाज स्वीकार करनें में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, आदिम समाज की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएँ विकसित

समाज के लिए चुनौती हैं। एक ऐसी चुनौती जो 'उपभोक्ता संस्कृति' अथवा 'मीड़िया संस्कृति से कोसो दूर प्रकृति की गोद में अमन चैन की जिन्दगी व्यतित कर रहा है, परंतु हमें तो उनका विकास करना है। राष्ट्र की विकसित धारा से उन्हें जोड़ना है। आदिम लोग विकास धारा से जुड़ना नहीं चाहत ये लोग विकास से दूर भागते हैं। उन्हें बंधन नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, बड़े-बड़े कारखाने नहीं चाहिए वह पूर्णरूप से स्वच्छन्द जीविका चलाना चाहते है।

1.6 भारत के आदिमों में अंधविश्वास ः

आदिम लोगों का समूहजीवन अंधविश्वास के कटघरे में जकड़ा हुआ है। आदिम लोग अशिक्षा, अज्ञान और विज्ञान की प्रगति से दूर रहने के कारण इन लोगों में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। धार्मिक अंधश्रद्धा देवी देवताओं पर विश्वास, असुरक्षितता, दरिद्रताा आदि के कारण आदिमों में अंधविश्वास ने जन्म लिया है।

"शकुन-अपशकुन, स्वर्ग-नरक, अलौकिक शक्ति तथा धर्म की भावना से अप्राप्य को प्राप्त कर लेने का विश्वास सभी धर्मो और समाज में आज भी अपना स्थान पिछड़े वर्गो में बनाए हैं।" [11]

स्पष्ट है कि आदिम लोगों में अंधविश्वास की मात्रा अधिक रहती हैं। अपने अराध्य दैव-देवताओं, अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए सुअर, मूर्गी, बकरे, भैस आदि की बलि देने की आदिमों मे प्रथा है।

भारत के प्रमुख आदिम जनजातियों में स्थित अंधविश्वास।

1.6.1 बैगा ः

बैगा आदिम लोग नदी, तालाब, पर्वत तथा भूमि आदि की भी पूजा ये लोग करते है। गाँव की देवी को अपनी भाषा में खेरवा कहते है। कष्ट आने पर बड़े यत्न पूर्वक ये लोग देवी की पूजा करते है। पूजा करने से संकट दूर हो जायेगा ऐसी इन लोगों की धारणा हैं।

1.6.2 कूकी :

भूत-प्रेत और मृत आत्माओं की पूजा ये लोग करते है। कूकी लोग सभी बीमारियों का कारण किसी न किसी देवता का प्रकोप मानते हैं तथा उसे प्रसन्न करने के लिए बलिदान एवं नरमुण्डों की भेट चढ़ाते हैं।

1.6.3 कुल्लपाशि :

मंदीर के पूजारी को मंत्र-तंत्र तथा तांत्रिक विद्या का पंडित माना जाता है। इन लोगों की यह धारणा है कि विशेष अवसरों पर, दशहरा में देवी के शीश पर विशेष प्रकाश आता है। दशहरे के दिन ये लोग देवी के प्रकाश का आकर्षण के लिए मंदिर के द्वार पर नाचते-गाते है। इस अवसर पर सूअर, मुर्गी, भैस आदि की बलि चढ़ाई जाती हैं।

1.6.4 खासी :

जब कोई भयानक सर्प किसी के घर में आकर बसा हो और घर न छोड़े उस समय ये लोग नरबलि देते हैं। सर्प के घर में घुस आने पर इन्हें जीवन का भय हो जाता है। उनका ऐसा अंधविश्वास है कि जब तक उसे मनुष्य का रक्त न दिया जायेगा वह घरसें नहीं जाएगा।

1.6.5 नागा :

"भूत-प्रेत में इन लोगों की विशेष श्रद्धा होती है किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसके साथ दो भाले रख दिये जाते हैं जिससे मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आये। युद्ध से जीतकर लौटने पर ये लोग प्रेत पूजा करते है, और खुब नाचते हैं।"[12]

1.6.6 उरांव :

इन लोगों का जादू टोना, भूत-प्रेत तथा चुड़ैल पर भी इनका विश्वास है। ये लोग प्रत्येक बीमारी का इलाज झाड़ फूकद्वारा करते है। हर त्यौहार के अवसर पर पितृपूजन करते हैं।

1.6.7 हो ः

अनेक देवी देवताओं तथा भूत-प्रेत को भी मानते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूअर, मुर्गी की बलि दी जाती है। इनका विश्वास हैं कि प्रेतात्माएँ दिनभर बाहर रहती है, तथा रात में घरों में घुस जाती है, इससे बचने के लिए प्रत्येक गाँव में चबुतरा बनाया जाता है उसे ये साफ रखते है। तथा रोज नियमित रूप से चबूतरे पर प्रेतात्माओं के लिए भोजन तथा शराब चढाई जाती है। भूत प्रेत के संदर्भ में इनमें अंधश्रद्धाएँ हैं।

1.6.8 जुआंग ः

भूत-प्रेत और कई देवताओं पर इनका विश्वास है। इन देवताओं को प्रसन्न करके तथा गाँव से संक्रामक बीमारी हटाने के लिए सूअर, मुर्गीया, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है।

1.6.9 कोया ः

हिंदू धर्म के सभी त्यौहारों को मनाते हैं। ये लोग सुर्य महालक्ष्मी आदि देवताओं के साथ ही भूत-प्रेत की पूजा करते हैं।

यहाँ स्पष्ट होता है कि आदिम लोगों में अलग-अलग देवी-देवताओं तथा अंधविश्वास का प्रभाव दिखाई देता है। इन अंधविश्वासों में आदिम समाज धसता चला जा रहा है। आदिमों के अंधविश्वास के मूल में उनका अज्ञान, अशिक्षा, अलौकिक शक्ति का डर, कमजोर मानसिकता, अतृप्त आत्मा आदि कारण रहे हैं। आदिम समाज शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान, मीडिया संस्कृती आदि से दूर रहने के कारण उनमें अंधविश्वस की मात्रा अधिक दिखाई देती है। आज बदलते आधुनिक समाज के अनुरूप कुछ आदिम जनजातियाँ भी सुधार लाने की तरफ कदम बढ़ा रही है।

1.7 भारत के आदिमों की रूढ़ि-परंपरा ः

आदिम समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय रीति-रिवाज होते है जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते वे इन रीति-रिवाजों, रूढ़ि परंपराओं से बंधे रहते है।

आदिम समाज के नियम सभी लोगों को एक जैसे होते है। आदिमों में घोटुल की परंपरा रही है। यह घोटुल गाँव के युवक-युवतियों का निवास स्थान होता है। रात का भोजन होने के बाद सभी युवक-युवतियाँ घोटुल में आते हैं। नाचना एवं गाना ये लोग घोटुल में ही सीखते है। आदिम लोग इन रूढ़ि परंपराओं का यथातथ्य पालन करते है। डॉ.नरेश के मतानुसार, "परंपरा के रूप में प्रचलित यही प्रथाएँ हमारे रीति-रिवाजों के रूप में ढल गई। ये रीति-रिवाज हमरी सांस्कृतिक धरोहर भी है तथा हमारी पहचान भी।"[13]

स्पष्ट होता है कि आज भी ये रूढ़ि-परंपराएँ आधुनिक तथा आदिम समाज में कम अधिक मात्रा में दिखाई देती है। भारत की आदिम जनजातियों में विभिन्न रूढ़ि-परंपराएँ देखने को मिलती है। भारत की आदिम जनजातियों में स्थित रूढ़ि परंपराएँ निम्न प्रकार है -

1.7.1 उरांव ः

उरांव जाति में स्त्री-पुरुष का पोशाख अलग नहीं होता है। दोनों **5-6** मीटर लम्बा और आधे से भी कम चौडा कपड़ा कमर तक बांधते है। ये आदिम लोग 'गमछा' वस्त्र भी पहनते है। औरते चारों ओर 'जनाना किचरी' कहा जानेवाला वस्त्र लपेटती है। **12** वर्ष की आवथा में लडकियाँ अपने शरीर पर गुदना गुदवाती है। इसे जातीय संस्कार समजा जाता हैं। नाच-गाना इन लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। इनके गीतों में भरे भाव मन को हिला देते है। इनका 'पेकी नृत्य' दर्शकों के लिए मुग्धकारी होता है। ये नृत्य प्राय: शादी के अवसर पर ये लोग करते हैं। इनका विश्वास है कि कोई भी स्त्री भूल कर भी हल को छूँले तो गाँव में सूखा या अकाल पड़ जायेगा। ऐसी इन लोगों की धारणा होती है। ऐसी आवस्था में गाँव में 'रोग खदेन' की क्रिया की जाती है। कई जातियों में तो स्त्री को हल से जुताना पड़ता है, तब कहीं पाप से छुटकारा मिलता है। परंतु जिस समय खेतों में बीज बोया जाता है उस समय स्त्री के हाथ से ही धरती में बीज बोया जाना शुभ माना जाता है। यह अनोखी लेकिन नारी महत्ता दर्शानेवाली प्रथा उरांव जाति में दिखाई देती है।

1.7.2 नागा :

नागा लोगों की कई उपजातियाँ है, जैसे- आगामी, सोमा, माओ, मारिग, लहोटा, कुबई, कोनथक, आओ, तथा तांगखुल आदि। ये सब जातियाँ अपने रीति-रिवाज, भाषा आदि कारण एक दुसरे से भिन्न है। प्रत्येक जाति के अपने अलग-अलग देवी-देवता हैं, उसकी पूजा बड़ी श्रद्धा से ये लोग करते है। इनमें विवाह की प्रथा बहुत अनोखी होती है। विवाह के लिए ऊसी लड़के को लड़की योग्य समझा जाता है जिसने चार-पाँच हात्याएँ की हो। इनमें लड़की और लड़का स्वयं ही अपना जीवन साथी खोज लेते हैं। माता-पिता की अनुमती प्राप्त होने पर लड़का मूल्यवान पशु लेकर लड़कीवाले घर जाता है, और उन्हें भेंट करता है। इस प्रकार सगाई होती है। इसके बाद एक वर्ष तक लड़के को घर रहकर काम करना पड़ता है।

"नागा जाति में लड़कीवाले को दहेज नहीं देना पड़ता। लड़का ही लड़की को मूल्य देता है। यह नगदी के रूप में न होकर वस्तुओं के रूप में होता है। इनमें खास बात यह है कि सगे भाई-बहन में भी विवाह हो जाता है। विवाह के मामले में किसी प्रकार की बाधा नहीं ड़ाली जाती।" [14]

अपने गांव में शिकार खेलते हुए दूसरे गाँव की सीमा में कोई शिकार हो जाये तो उसका आधाभाग उस गाँव के लोगों के दे देते हैं।

1.7.3 सन्थाल :

इनमें पुरुष केवल घुटनों तक धोती पहनते है। शुभ अवसर पर ये लोग पगड़ी तथा कुर्ता भी पहनते है। स्त्रीयाँ भी केवल घुटनों तक साड़ी पहनती है। खेती इनका प्रमुख व्यवसाय है। इनके यहाँ पुत्र का मुंडन संस्कार बड़ी धुम-धाम से संपन्न किया जाता हैं। नृत्य और देवताओं की पूजा की जाती है। जंगली कंदमूल, फल आदि इनके भोजन में सहायक होते है। इनमें शिकार का भी प्रचलन है, कुछ गावों में व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी जंगल में जाकर शिकार करते हैं। सन्थालों में गो पूजन का त्यौहार होता है, इसें 'सोहराम' कहते हैं। इस अवसर पर गांव का पंडित गो पूजन के

लिए शुभ दिन निश्चित करता है। उस दिन रातभर जागना तथा व्रत भी रखना पड़ता है। अगले दिन सुबह नदी या तालाब में सारे ग्राम के लोगों के साथ स्नान किया जाता है। इसके उपरान्त ये लोग मुर्गे की बलि चढ़ाते है अंत में ये लोग शाम को नाचते गाते हुए गाँव के प्रत्येक घर-घर जातें हैं। किसी घर के आगे रूककर ये लोग तोड़ा नृत्य करते है। उन्हें गुड अथवा मिठाई आदि देकर उनका सत्कार करना पड़ता है।

1.7.4 गोंड :

गोडों में विभिन्न गोत्रगत संबंध होते है इस गोत्रगत संबंध को ये लोग 'कुर' कहते है। ये लोग भूत-प्रेत, देवी-देवताओं की पूजा करते है। ये लोग कम वस्त्र धारण करते है। गोंडों के प्रमुख को 'मुखिया' कहते है। सामूहिक व्यवस्था को महत्त्व देकर ये लोग सभी निर्णय मिलजुलकर लेते है। शिकर करने के लिए कई तरह के फंदो का प्रयोग करत है। मछली पकड़ना इनका प्रिय शौक है।

"गोंडों का सर्वाधिक प्रिय पेय शराब है। जिसे बच्चे, बूढ़े, युवक और महिलाएँ सभी समान रूप से इसका सेवन करते है। शराब ने अन्य जनजातियों के समान एक संस्कार का रूप ग्रहण कर लिया है। सगाई, विवाह तथा देवी-देवताओं की पूजा में शराब देना एक परंपरा बन गई है। महुआ गोंडो का महत्त्वपूर्ण भोजन भी है। गोंड मांसाहारी होते हैं। मांसाहार में मुर्गा, बकरा इनका प्रिय व्यंजन है। मछली का भी सेवन बहुत चाव से करते हैं।"[15]

गोंडों में गुदने की प्रथा बहुत प्रचलित है। गुदना गुदवाने के पीछे यही भावना है कि ये स्त्री के सच्चे जेवरों की निशानी हैं, जो मरते समय भी शरीर के साथ जाती हैं।

1.7.5 माडिया गोंड :

महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली जिलें में भामरागड़ और सुरजागड़ के प्रादेशिक भाग में मडिया गोंड रहते है। इनका प्रधान व्यवसाय खेती है। मडिया गोंडों में प्रमुख उत्सव 'नवो पंडूम' है। खेतों से धान की की कटाई होने के बाद यह त्यौहार ये

लोग मनाते है। ये लोग सभी देवी-देवताओं को दिखाकर ही वह धान रोज के उपयोग के लिये लेते है। उत्सव पर्व में होनेवाली पूजा गांव के भगत की निगरानी एवं मार्गदर्शन पर ही होती है। इन लोगों के घोटुल में रातभर युवक-युवतियों के गाने का मजमा चलता है।

"दसरा उत्सव माडिया गोंड बड़े धूम धाम से मनाते है। इसी उत्सव की वजह से अन्य गावों के आदिम एक दुसरे से मिलते है। मडिया गोंडों में मृत लोगों की आत्मा को शांति मिलने के लिये श्राद्ध करने की प्रथा रूढ है। श्राद्ध विधि कुछ गावों में वैयक्तिक एवं सामूहिक तरह से किया जाता है, इस श्राद्ध को आदिम 'करताड़' कहते है। गाँव के वेशी के नजदीक मृतात्मा के नाम से खड़े पत्थर के पास यह श्राद्ध विधि किया जाता है। बकरे और मूर्गी को काटकर गाँव को भोजन दिया जाता हैं।"[16]

1.7.6 हो :

हो आदिम मुख्य रूप से खेती और शिकर पर निर्भर रहते है। सामूहिक रूप से जंगल में शिकार करते है तथा नदी, तालाब में मछलियाँ मारते है। फसल कटने की खुशी में ये जश्न मनाते हैं। हो आदिमों में पुरूष वर्ग की प्रधानता है। कोलहन में ये लोग मेले में जाते है। खेती बारी का काम खत्म होने पर ये लोग मेले में जाते है। हो आदिमों में बहुपत्नित्व की प्रथा प्रचलित हैं। एक व्यक्ति कई लड़कियों से विवाह करने के लिये स्वतंत्र है। विचित्र बात तों यह है कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक स्त्रीयाँ है उन्हें उतना ही बढ़ा चढ़ाकर सन्मान मिलता है। सगोत्री बहन विवाहँ को मान्यता देते है।

1.7.7 भील :

यह जनजाति उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हैद्राबाद आदि अनेक स्थानों में फैली हुई है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। परंतु ये शिकारी का जीवन बीताते हैं। ये जंगलों से जड़ी-बूटी एकत्र करके बेचते है। इनके खेती करने के ढंग को 'बालरा' कहते हैं। अन्य आदिम जनजतियों की तरह इनमें भी दरिद्रयताा के दर्शन होते है। इनके रीति-रिवाजों पर मृतक के भोज में आनेवाले लोग थोड़ा-थोड़ा अनाज बर्तनों में साथ लाते हैं। जब कभी भोजन की मात्रा कम हो जाती है तो परोसनेवाला खाली हाथ सबके

सामने से घूम आता है। इससे ये लोग समझ लेते हैं कि भोजन समाप्त हो गया है और सब लोग उठ जाते हैं।

सारांश रूप में हम कह सकते है कि आदिमों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रीति-रिवाज, रूढि-परंपरा होती है जिन्हें वे तोड़ना नहीं चाहते। वे इन रीति-रिवाजों एवं रूढि-परंपराओं से बंधे रहते है। रूढि-परंपराओं को निभाने में ही जीवन की सार्थकता मानने की प्रवृत्ति भारत के आदिमों में लक्षित होती है।

1.8 भारत के आदिमों की आर्थिक स्थिति :

आधुनिक बदलती हुई परिस्थिति में आदिम जनजाति के लिये वर्तमान उपलब्ध आर्थिक सीमित साधनों के माध्यम से जीविका अर्जन करना असंभव सा हो गया है लेकिन न तो इनके पास अपने जीवन के लिये अन्य साधन ही है, न उसके लिये ये प्रोत्साहित किये जा रहे हैं। इधर कुछ वर्षो से ये जंगल की बाहरी दुनिया के साथ संपर्क की वजह से अपने आर्थिक स्त्रोत तलाश कर रहे हैं। आदिम जनजातियों में हर एक समाज की अलग-अलग प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिये कुछ-न-कुछ व्यवसाय करता है। भारत के आदिमों के व्यवसाय परंपरागत है। भारत के आदिमों की आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की है।

1.8.1 उरांव :

उरांव जाति का प्रमुख व्यवसाय कृषी है। ये लोग दाल, तिल के अतिरिक्त अन्य धान्य उत्पन्न करते है। इनकों खेती के लिए बड़े-बड़े साहूकारों तथा जमीनदारों से कर्जा लेना पड़ता है। अशिक्षा और गरिबी के कारण ये लोग पिछड़े बन गये है। आज कुछ लोग कारखानों में भी काम कर रहे हैं। आज भी ये लोग आदिम आवस्था में ही जीवन यापन कर रहे हैं।

1.8.2 नागा :

"इनका व्यवसाय कृषी है। ये लोग चावल, आलू कपास उपजाते है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक लोग स्वयं जंगल काटकर खेती योग्य जमीन बना लेते हैं।

खेत के बीच एक वृक्ष छोड़ देते है, यह इन लोगों रीति हैं।"[17]

1.8.3 गोंड :

गोंडों की आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर होती है। इनकी जीविका के साधन बहुत कम और परंपरागत होते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की प्रमुख आवश्यकता है। गोंड लोग कृषि के पुराने और परंपरागत तकनीक से हटकर शासन की नई योजनाओं का प्रयोग नहीं करते। दूसरी ओर अशिक्षित होने के कारण भी वे जोखीम लेना नहीं चाहते। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जातियों के समान गोंड जनजातियों पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है। महाजन और संपन्न किसान हर तरह से उनका शोषण करते हैं।

1.8.4 सन्थाल :

"इनका प्रमुख व्यवसाय खेती करना है। जंगली कंदमूल फल भी इनके भोजन में सहायक होते है। इनमें शिकार का भी प्रचलन है। कुछ गांवो में व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी जंगल में जाकर शिकार करते हैं, जिसे ये 'सैम्दरा' कहते हैं।"[18]

ये लोग खेती में नया तंत्रज्ञान नहीं अपनाते, इनके खेती के हल लकड़ी के होते है। परंपरागत रूप से चली आ रही खेती को करने में ये लोग चिन्ता नहीं करते।

1.8.5 बैगा :

शिकार करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। इसके साथ-साथ दूध, घी के लिए जानवर पालना, फल, कंदमूल आदि के लिये जंगलों में जाना पसंद करते है। इनके प्रदेश में तेंदू के वृक्ष अधिक होने के कारण इन पेंडों के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम यहाँ के ठेकदार इन आदिम लोगों से करवा लेते हैं। अधिक लोगों का यह पत्ते तोडने का व्यवसाय एक प्रकार से जातीय पेशा हो चुका है।

1.8.6 हो :

बैगा जनजाति की तरह इनका व्यवसाय शिकार करना है। ये लोग अपने होनेवाले संतान को पहले शिकार करने की शिक्षा देते है। इनके यहाँ प्रतिवर्ष शिकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वैसे तीर, कमान ही इनका प्रमुख अस्त्र-शस्त्र

है। घर तथा खेती का काम स्त्रीयाँ करती है।

1.8.7 भील :

इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषी, पशुपालन, लकड़ी काटना तथा बेचना आदि है। शिकार करना तथा मछली मारने का काम भी ये लोग करते है। इनके खेती करने के ढंग को 'बालरा' कहते है। ढालू के वृक्ष को काटकर गिरा देते हैं,और उनको जलाकर खाद की काम में लाते है, तथा उसी जगह खेती करके अनाज पैदा करते हैं।

1.8.8 कुल्लूवासी :

इन लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती रहा है। खेती के साथ ये लोग भेंडों तथा बकरियों को पालना तथा उनसे प्राप्त ऊन का व्यापार करना भी इनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये लोग ऊन की तरह-तरह की वस्तुएँ तैयार करते है। इससे इन्हें काफी आमदनी मिलती है। ऊन का व्यवसाय इन लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है।

डॉ.यादवराव धुमाळ जी के मतानुसार -"आदिवासियों का जीवन आधुनिक यांत्रिकताओं से दूर और सारे ताण तणाओं से मुक्त रहता है। उदरपूर्ती की थोडी-बहुत चिंता वे जरूर करते हैं। उनके द्वारा निर्मित थोड़ासा मक्का कुदई या कुटकी चार-पाँच महिनों से अधिक नहीं जाती शेष महिनों में वे शिकार पर निर्भर रहते हैं। लाँदा पीकर मस्ती में नाचना-गाना यहीं उनकी जिंदगी है। किसी पर्व-त्यौहार हो, देवी देवता की पूजा हो, या शादी-ब्याह हो एवं किसी मेहमान का आगमन हो, वे नृत्य-गीत का आयोजन करते हैं।"[19]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आदिम जनजातियों के व्यवसाय एवं जीविका के साधनों को देखने से इन लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आदिमों की आर्थिक व्यवस्था जंगल तथा खेती पर निर्भर है तथा वहीं उनकी नींव है। प्रगत तंत्रज्ञान का अभाव, अज्ञान, अशिक्षा आदि के कारण आदिमों की आर्थिक स्थिति चिंतनीय है। आज सरकार की विकास योजनाओं द्वारा उनमें बदलाव आ रहा है। सरकारी की विकास योजनाएँ अनुसूचित जनजातियों को भारत निर्माण के लिए

महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। उनकी स्थिति और गति में इन योजनाओं द्वारा परिवर्तन लक्षित नजर आ रहा है।

1.9 भारत के आदिमों की विवाह विधियाँ ः

विवाह संस्था सामान्यत: समस्त भारतीय समाज में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। "सामाजिक संस्थाओं में विवाह का स्थान सर्वोपरी है। सुव्यसस्थित रूप से सृष्टि को संचलित करने, पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने तथा सामाजिक जीवन में कामभावना को पवित्रता का आकार प्रदान करने का श्रेय विवाह को ही है।" [20]

भारत की समस्त आदिम जनजातियों में भिन्न-भिन्न रूपों में इसका अस्तित्व मिलता है। भारतीय आदिमों में विवाह संस्था पर्याप्त विकसित रूप में पाई जाती है। विभिन्न जनजातियों में इसके रूप भिन्न-भिन्न देखने को मिलते हैं। भारत की आदिम जनजातियों में विवाह के निम्नांकित रूप प्रचलित है -

'एक विवाह' (Monogamy)

'बहुपत्नीत्व विवाह' (Polygamy)

'बहुपतीत्व' (Polyandry)

'समूह विवाह (Group Marriage)[21]

इसके अतिरिक्त आदिमों में आठ प्रकार की विवाह विधियाँ पायी जाती है।

"परिवीक्षाधीन विवाह' (Probationary Marriage)

'परीक्षण विवाह' (Marriage by Trial)

'अपहरण विवाह' (Capture Marriage)

'विनिमय विवाह' (Marriage by Exchance)

'सेवा विवाह' (Marriage by Service)

'पलायन विवाह' (Marriage by Elopment)

'बल विवाह' (Marriage by Intrusion)

'क्रय विवाह' (Marriage by Purchase) [22]

विभिन्न आदिम जनजातियों में विवाह की अलग-अलग पद्धतियाँ होती है, जिसके अनुरूप वे अपने विवाह संस्कार करते है। यहाँ हम विभिन्न आदिम जनजातियों विवाह संस्कार की विधियों पर चिंतन करेंगे।

1.9.1 उरांव :

इन लोगों की धारणा है कि विवाह के लिए लड़के और लड़की का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। परंतु इन लोगों में ऐसी लड़की से कोई विवाह नहीं करता जिसे पेड़ पर चढ़ना न आता हो। अगर भूल से भी ऐसी कन्या से विवाह हो भी जाए तो बाद में उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। एक से अधिक विवाह करने की इनमें प्रथा प्रचलित है। पेड पर चढ़ना एक साहसी परीक्षा माना है ऐसी परीक्षाएँ इन लोगों में स्वीकृत है।

1.9.2 नागा :

नागा लोगों में विवाह करने की प्रथा बहुत अनोखी होती है। विवाह के लिए उसी लड़के को योग्य समझा जाता है जिसने चार-पाँच हात्याएं की हो। इस जाति में लड़का-लड़की अपना जीवन साथी स्वयं चुन लेते है। इसके बाद लड़का-लड़की के घर जाकर एक वर्ष तक काम करता है। नागा जाति में लड़कीवालों को दहेज नहीं देना पड़ता है। इनके विवाह के मामले में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाती।

1.9.3 गोंड :

गोंडों में सगोत्रीय विवाह को मान्यता नहीं दी जाती। ये लोग मामा से भांजी का विवाह करते हैं। विवाह के लिए लड़केवाले-लड़कीवालों के घर जाते हैं। विवाह संस्कार के लिए ब्राहमण को बुलाया जाता हैं। विवाह के बाद बहु को घर लाकर अग्नि की परिक्रमाएं की जाती हैं।

1.9.4 खासी :

इनकें यहाँ विचित्र रीति-रिवाज है। इनमें जाति का कोई भी भेदभाव नहीं समझा जाता हैं। एक समय एक स्त्री अनेक पुरूषों की पत्नी बनकर रह सकती हैं। एक भाई का विवाह हो जाने पर अन्य भाई विवाह नहीं करते। एक ही स्त्री अन्य भाईयों की

भी स्त्री समझी जाती है। इस प्रकार के संबंधों को ये लोग बुरा नहीं मानते। इसे ये लोग शुभ समझते है। इनका ऐसा विश्वास है कि यदि घर के सभी भाई विवाह कर ले तो घर का नाश हो जाता है। इसका कारण यह है कि पहाड़ पर कृषि योग्य जमीन की कमी होती है, जिस पर पुरी गृहस्थी का भार होता है। अगर सभी भाई विवाह करने लगे तो थोड़ी सी भूमि पर अधिक भार पड़ेगा और आर्थिक आवस्था बिगड़ जायेगी।

अपनी संपत्ति का बटवारा न हो तथा घर की विधवा किसी दूसरे के साथ संबंध न रखे यह इसके पीछे इन लोगों की मूल धारणा हैं।

1.9.5 टोडा ः

"इनके यहाँ युवकों तथा युवतियों को विवाह से पहले भी आपस में मिलने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। विवाह के बाद स्त्री सब भाइयों की पत्नी समझी जाती है। इसका कारण है स्त्रीयों की कमी। पहले इनके यहाँ लड़की के पैदा होते ही मार डाला जाता था और परिवार में एक से अधिक लड़की रखना पाप समझा जाता था परंतु अब यहाँ यह प्रथा बंद हो गयी है।" [23]

1.9.6 मिनी कोय वासी ः

"इन लोगों की विवाह की रीतियाँ भी बड़ी अनोखी हैं। यहाँ छोटी आयु में ही विवाह करने का प्रचलन है। स्त्री को ही अपने लिए योग्य पति चुनने का अधिकार है। यहाँ विवाह के बाद लडकी लड़के को घर ले जाती है और पति को अपने घर ही रखती है। लड़कों को शादी के बाद माँ-बाप का घर छोड़ना पड़ता है। ससुराल का घर तभी छूटता है जबकि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाय। लड़कियाँ ही पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी समझी जाती है। लड़के का इसमें कोई अधिकार नहीं समझा जाता है। वह केवल अपनी पत्नी की संपत्ति पर ही अपना अस्थायी अधिकार जता सकता है।" [24]

उपर्युक्त विवेचन से यहाँ स्पष्ट होता है कि विवाह संस्कार आदिमीं में एक व्रत के समान है। इसका पालन आदिम लोग पूरी निष्ठा के साथ करते है। आदिमों की

कई जनजातियाँ है। उनके विवाह संस्कार तथा विधियाँ अलग-अलग प्रकार की है। सामाजिक स्वास्थ को बनाये रखने में विवाह संस्कार एक अविभाज्य अंग है। आज आदिमों का संवंध सभ्य समाज से आने के कारण उनमें हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करने की प्रथा दिखाई दे रही है। आदिमों की विवाह पूर्व लड़का-लड़कियों का मिलना, आपसी पहचान करवाना, दहेज न देना, माता-पिता द्वारा राय लेना, धार्मिक विधि को अपनाना आदि बातें आज के युग में भी आदर्शवत लगती है।

1.10 भारत के आदिमों के उत्सव-पर्व :

सांस्कृतिक और वैचारिक लेन-देन के लिए आदिम लोगों में उत्सव-पर्वो का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। धार्मिक भय, अंधविश्वास से निर्मित प्रथा परंपरा, किदंतियों का प्रभाव आदि के कारण आदिमों में उत्सव-पर्व मनाने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। शहरी समाज की अपेक्षा आदिम एवं ग्रामीण समाज में उत्सव-पर्वो की प्रथा लक्षित होती है। "इन पर्व एवं त्यौहारों के माध्यम से अंचल विशेष का केवल लोकजीवन ही उद्घाटित नहीं होता बल्कि संपूर्ण लोकमानस अपनी नीजी लोक परंपरा व लोकसंस्कृती को लिए उजागर होता है।" [25]

आदिमों में पर्व त्यौहारों का विशेष महत्त्व होता है। इससे उनकी संस्कृति की पहचान होती है। आदिम लोग खुशी के अवसर पर पर्व-त्यौहार मनाते है। यहाँ हम भारत की प्रमुख आदिम जनजातियों के उत्सव-पर्व पर चिंतन करेंगे।

1.10.1 गोंड :

गोंडो में फसल काटकर घर ले जाने पर चैत्री त्यौहार मनाते है। नयी फसल घर आने पर लोग रातभर नाचते गाते हैं। भादों में नया चावल पक जाने पर 'नयाखाई' त्यौहार होता है। इन लोगों का होली मुख्य त्यौहार है।

1.10.2 मुण्डा :

वर्ष में मुख्य रूप से अनेक त्यौहार मनाते है। जनवरी में फसल के वाद

भागे-पर्व या पुण्यपर्व मनाते है। इस अवसर पर पत्तों पर भोजन करते हैं और शाल वृक्ष से फूलों की पूजा करते हैं। अप्रैल-मई में धान बोते समय 'होनबा' त्यौहार मनाते है। सोसाबोंगा प्राय: अगस्त मास में भूत-प्रेत को भगाने के लिए यह त्यौहार मनाते है। बड़गणी त्यौहार दिवाली की तरह मनाकर अंत में गो पूजा की जाती है।

1.10.3 भील :

"सभी जनजातियाँ अपने-अपने धार्मिक पर्व और उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षा बंधन आदि मनाते हैं। तो दूसरी ओर अपने पारंपरिक त्यौहार आखातीज, होवण माता की चलावणी, सावण माता की जातर, दिवसा, नवई, नवणी, भगौरिया, गाय, गोहरी गल, गढ़ आदि त्यौहार मनाते हैं।"[26]

इनके पर्व त्यौहार की विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि किसी की मृत्यू अथवा दुखद घटना होने पर ये लोग त्यौहार नहीं मनाते।

1.10.4 सन्थाल :

ये लोग परंपराप्रिय होत है। इनके प्रमुख पर्वो में सरोक, हरियड़, सोहराय, पाता काराम आदि है। 'सोहराय' सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जब तक गाँव में 'बाहा' त्यौहार नहीं हो जाता हैं, वनों से नये फूल, फल एवं पत्तों का व्यवहार वर्जित रह जाता है। ये लोग एरोक पर्व धान बोने के पूर्व और हरियड़ धान के पौंधे कुछ बड़े हो जाने पर मनाते हैं।

1.10.5 सहरिया :

"इनके त्यौहारों में दशहरा, दिपावली, मकर संक्रांति, होली, रक्षाबंधन आदि भी मनाये जाते हैं। नवदूर्गा का मेला चैतमाह मार्च की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को भरता है। इस मेले में दुर्गा माता की पूजा के अतिरिक्त युवक युवतियाँ मनपसंद साथी का चयन भी करती है एवं विवाह बंधन में बंध जाती हैं। इस प्रकार के विवाह को 'काटी' संज्ञा दी गई है।"[27]

1.10.6 कमार :

कमार जाति के लोग कृषि फसल के अनुसार तीन-त्यौहार मनाते है। श्रावन में हरियाली, भादों में पोला, क्वार में नयाखानी और दशहरा, कार्तिक में दिपावली तथा फागुन में होली का त्यौहार मनाते हैं।

"आदिवासी चाहे व किसी भी समुदाय के हों ये सभी अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप अपने पर्व-त्यौहार और सामाजिक, धार्मिक नियम विधान को मान्यता प्रदान करते हैं। पर्व त्यौहारों के अवसर पर इनका उत्साह देखते ही बनता है। इनकी धार्मिक भावना छलकती है और अपने देवी-देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त होती है। पिछड़ी कही जाने वाली आदिवासी जातियों की अपनी आस्था है विश्वास है।" [28]

यहाँ स्पष्ट होता है कि आदिमों के पर्व-त्यौहारों से उनकी संस्कृति के दर्शन होते है। इन उत्सव पर्वो में उनकी धार्मिक भावना विशेष महत्वपूर्व होती है। आदिमों के उत्सव पर्वो में प्रकृति की पूजा, अनाज फसल की पूजा, देवी-देवीताओं की पूजा महत्त्वपूर्ण होती है। आदिम लोग हिंदू धर्म संस्कृति के अनुरूप अपने उत्सव पर्व मानाते है जो उनकी संस्कृति के द्योतक है। साथ ही ये लोग अपनी अंचल की विशेषता के साथ त्यौहार मनाते है।

समन्वित निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्याय में हमने आदिमों के जनजीवन का स्वरूप विशद करते हुए आदिम किसे कहा जाता है, भारत के किन भूभागों पर आदिमों की बस्तियाँ हैं, भारत के प्रमुख राज्यों के अंतर्गत रहनेवाली जनजातियाँ आदि का संक्षेप में पृष्ठभूमि के रूप में अध्ययन किया है। जंगलों और दूर-दराज पहाड़ियों में बसी भारत की आदिम जनजातियाँ, उनमें स्थित अंधविश्वास, उनकी रूढि-परंपराएँ, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी विवाह विधियाँ, तथा उनके उत्सव पर्व आदि के रूप में भारत के आदिमों के जनजीवन का स्वरूप विशद किया है।

आज का आदिम जनजीवन अज्ञान, अंधश्रद्धा के कारण अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ है। उनकी मानसिक दुर्लबता, आधुनिक विचारों की कमी, विज्ञान तथा प्रगत तंत्रज्ञान का अभाव आदि कई कारण रहे हैं, जिनसे अंधविश्वासों में बढोत्री हो रही है। आदिम लोग रूढि-परंपराओं से जकड़े होते हैं। आदिम लोग अपने देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिये सुअर, बकरी तथा मुर्गी की बली चढाई जाती है। ऐसा करने के पिछे उनके मन में स्थित भय का निवारण हो जायेगा ऐसी उनकी धारणा होती है। गाँव को भूत प्रेत की पीड़ी से दूर रखना, गाँव की रक्षा करना, प्रकोप से छुटकारा पाना आदि के कारण ये लोग देवताओं को बली चढ़ाते हैं।

भारत के आदिमों की आर्थिक व्यवस्था जंगल तथा खेती पर निर्भर है। जंगल से प्राप्त फलों पर तथा थोड़ी-बहुत खेती करके ये लोग अपनी उपजीविका चलाते है। भारतीय आदिमों की आर्थिक स्थिति विकास से बहुत पिछड़ी हुई है। यद्यपि कुछ आदिम जनजातियाँ सभ्यता के संपर्क में आने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत के आदिमों में विवाह संस्था पर्याप्त विकसित रूप से पाई जाती है। विभिन्न जनजातियों में इसके रूप भिन्न पाये जाते हैं। भारत की आदिम जनजातियों में विवाह संबंधी सीमाये है जिनका वे पालन करते हैं। प्राय: अधिकांश जनजातियों में विवाह के अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। इन में कुछ जातियों में विवाह से पूर्व युवक-युवतियाँ यौन सुख का अनुभव कर लेते हैं। ऐसे संबंधों को अनुचित नहीं माना जाता है, बल्कि घोटुल तथा युवागृहों की व्यवस्था करके उन्हें जीवन संबंधी उचित शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

आदिमों के उत्सव-पर्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के प्रतीक माने जाते है। इसी के परिणाम स्वरूप उनकी संस्कृति सुरक्षित रही है। उत्सव-पर्व में उनकी समूहभावना लक्षित होती है। उत्सव-पर्व में देवी-देवताओं को प्रसन्न करना, प्रकृति पूजा, फसल, अनाज की पूजा आदि को महत्त्व देते हैं। ये लोग हिंदू धर्म संस्कृति के अनुरूप उत्सव-पर्व मनाते हैं।

संक्षेप में लगता है कि भारत की आदिम जनजातियाँ आज भी जंगलो तथा वनों में निवास कर रही है। ये आदिम जनजातियाँ अपने रीति-रिवाज, प्रथा परंपराओं से जकड़े हुए है। आज सरकारी विकास योजनाओं द्वारा उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु विविध कल्याणकारी योजनाओं का अवलंब करके उनकी आर्थिकता सक्षम करने के लिए उन्हें भारत की विकास गति में समाहित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1) डॉ. शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर, दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 75

2) डॉ. शिवतोष दास - वही पृ.क्र.- 75

3) ए. वाय. कोंडेकर - भारतीय आदिवासी समाज, फडके प्रकाशन, कोल्हापुर, प्र.स. 1987, पृ.क्र.- 8

4) डॉ.शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर, दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 75

5) डॉ.शिवतोष दास - वही पृ.क्र.- 76

6) संपा नवलजी - नालंदा विशाल शब्दसागर, संस्करण 1988, हिन्दी साहित्य, पृ.क्र.- 126

7) संपा.रामचंद्र वर्मा - प्रामाणिक हिंदी कोश, हिंदी साहित्य कुटिर, दिल्ली, सं.सं.2000 पृ.क्र.- 102

8) पी.आर.नायडू - भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, द्वितीय सं. 2002 पृ.क्र.- 454

9) डॉ.शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर, दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 78

10) पी.आर. नायडू - भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, द्वितीय, सं 2002 पृ.क्र.- 1

11) सुर्यनारायण भट्ट - धर्म और समाज, सरस्वती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र.स. 1992 पृ.क्र.- 49

12) डॉ.शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर, दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 152

13) संपा. डॉ.भगतिसिंह - संस्कृति, अक्तूबर-दिसंबर 1987 पृ.क्र.- 50

14) डॉ.शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 152

15) पी.आर. नायडू - भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली, द्वि.सं. 2002 पृ.क्र.- 26

16) गोविंद गारे - महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे स.2000 पृ.क्र.- 12

17) ए. वाय. कोंडेकर - भारतीय आदिवासी समाज, फडके प्रकाशन, कोल्हापुर, प्र.स. 1987, पृ.क्र.- 151

18) ए. वाय. कोंडेकर - वही पृ.क्र.- 156

19) डॉ.यादवराव धुमाळ - साठोत्तरी हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का प्रवृत्तिमूलक तुलनात्मक अधयन, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर, प्र.स. 1997,पृ.क्र.- 150

20) डॉ.सीताराम झा 'श्याम' - भारतीय समाज का स्वरूप, बिहार ग्रंथ अकादमी, पटना, प्र.स. 1974, पृ.क्र.- 139

21) गुरूनाथ नाडगौंडे - भारतीय आदिवासी, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, पुणे, पृ.क्र.- 179

22) डॉ.शिवतोष दास - भारत की जनजातियाँ, किताबघर गांधीनगर, दिल्ली, अगस्त 1983 पृ.क्र.- 86

23) डॉ.शिवतोष दास - वही पृ.क्र.- 170

24) डॉ.शिवतोष दास - वही पृ.क्र.- 122

25) पुष्पा जतकर - रचनाकार रेणू, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, प्र.स. 1992, पृ.क्र.- 131

26) पी.आर. नायडू - भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली, द्वि.सं 2002 पृ.क्र.- 59

27) पी.आर. नायडू - वही पृ.क्र.- 65

28) पी.आर. नायडू - वही पृ.क्र.- 56